



2026:AHC:16014

उच्च न्यायालय, न्यायिक पीठ इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 2320 वर्ष 2026

फारुख

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : उमैद्र प्रताप सिंह, विकास शर्मा

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 66

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. सूची संशोधित की गई है।
2. श्री विकास शर्मा, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा श्री वी.के.एस. परमार, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 145 वर्ष 2025, धारा 191(2), 191(3), 190, 103(1) भारतीय न्याय संहिता, थाना-मोदीनगर, जनपद-गाजियाबाद में विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि समान परिस्थितियों वाले सह-अभियुक्त आसिफ को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 36279 वर्ष 2025 में दिनांक 17.10.2025 के आदेश द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है। यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक की भूमिका उक्त सह-अभियुक्त के समान है, जिसे पहले ही जमानत दी जा चुकी है, अतः समानता के आधार पर आवेदक भी जमानत का अधिकारी है। आवेदक दिनांक 24.08.2025 से कारागार में निरुद्ध है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का जोरदार विरोध किया गया, तथापि सह-अभियुक्त के साथ समानता तथा आवेदक के आपराधिक इतिहास न होने संबंधी तथ्य का खंडन नहीं किया जा सका।
6. प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय *नन्हा पुत्र नभन खा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1993 क्रि.लॉ.ज. 938* तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय *पारस राम विश्रोई बनाम*

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



निदेशक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, MANU/SCOR/22410/2021 तथा सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं अन्य, (2022) 10 एससीसी 51 के आलोक में न्यायालय की राय है कि आवेदक जमानत का अधिकारी है। तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र समानता (Parity) के आधार पर स्वीकृत किया जाता है।

7. आदेशित किया जाता है कि आवेदक फारुख, जो उपर्युक्त मुकदमा अपराध में निरुद्ध है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो भारी जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए।

(i) आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष निम्न तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा — (1) वाद के उद्घाटन के समय (2) आरोप गठन के समय (3) धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत बयान दर्ज करने के समय यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

8. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अभियोजन पक्ष इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्तीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा।

9. बंधपत्र स्वीकार करने से पूर्व आवेदक एवं जमानतदारों की पहचान, स्थिति तथा निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. यह स्पष्ट किया जाता है कि जमानत प्रदान करते समय की गई टिप्पणियाँ विचारण न्यायाधीश को साक्ष्यों के आधार पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करेंगी।

22 जनवरी, 2026

(कृष्ण पहल, न्यायमूर्ति)

शालिनी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।